

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

सं०सं०-ले०-07/2017

767

/पटना, दिनांक 23.03.18

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०)
निदेशक।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)।
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

विषय:-

कार्यालय द्वारा संधारित बैंक खातों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

अधोहस्ताक्षरी का पत्रांक-2755 दिनांक 11.12.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का अवलोकन किया जाय। उक्त पत्र के द्वारा मुख्य सचिव बिहार, पटना का पत्रांक 8978 दिनांक 17.11.2017 एवं प्रधान सचिव वित्त विभाग का पत्रांक-1144 दिनांक 20.11.2017 के दिशा निर्देशों के आलोक में 31.03.2018 तक व्यय नहीं होने वाली राशि संबंधित शीर्ष में जमा करने का निदेश देते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। परन्तु कई क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा मदवार अव्यवहृत राशि एवं जमा की गई राशि से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाना चिंता का विषय है। विदित हो कि मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग के द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जाती है एवं अव्यवहृत राशि के जमा शीर्षों/समेकित निधि में जमा नहीं किये जाने एवं कई खातों के संचालन पर कड़ी आपत्ति करते हुए कार्रवाई का निदेश दिया गया है।

इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-एफ०-4-05/2018 1971/वि० दिनांक 15.03.2018 के अनुसार पूर्व प्रेषित निदेशों का अनुपालन करने के उपरान्त 04.04.2018 तक संबंधित कोषागार को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों का वित्तीय सम्व्यवहार बंद करने का निदेश जारी किया गया है।

अतएव निम्न निदेशों का अनुपालन करते हुए विहित प्रपत्रों में दो दिन के अन्दर बांछित प्रतिवेदन/सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. केन्द्रीय योजनागत योजना शीर्ष/भारत सरकार से प्राप्त राशि जिसकी अग्रिम निकासी कर रखा जाना आवश्यक है, के लिए बैंक खाता का संचालन किया जाय। इसके अतिरिक्त अन्य सभी बैंक खातों को 24 घंटे के अन्दर बन्द कर इसकी सूचना संलग्न प्रपत्र-1 में उपलब्ध करावें।

2. 30.11.2017 को बैंक खातों में जमा राशि के विरुद्ध व्यय की गई/जमा शीर्ष में/समेकित निधि के जमा की गई राशि से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र-2 एवं मदवार राशि का ब्योरा प्रपत्र-3 में उपलब्ध करावें।

3. वित्त विभाग के पत्रांक-1969 दिनांक 15.03.2018 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार प्रमाण-पत्र एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं कोषागार को उपलब्ध करावें।

उपरोक्त कंडिका सं०1 से 3 तक उल्लेखित निदेशों का अनुपालन दो दिन के अन्दर करते हुए औपबधिक प्रतिवेदन दिनांक 27.03.2018 को एवं अंतिम प्रतिवेदन 02.04.2018 तक विशेष दूत द्वारा अधोहस्ताक्षरी को (प्रत्यार्पण प्रतिवेदन के साथ) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों का बिहार वित्त नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इसे सर्वाच्च प्राथमिकता दें।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

(पाँच पन्ने)

विश्वासभाजन

23.3.18
निदेशक

ज्ञापांक:-

767

/पटना, दिनांक 23.03.18

प्रतिलिपि:-

उप निदेशक(लेखा) को सूचनार्थ एवं हर संभव कार्रवाई कर क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित।

2.

अनिल चन्द्र प्रकाशन, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करने एवं सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर को निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23.3.18
निदेशक

प्रपत्र -1

(क) 30.08.2017 के पश्चात् बंद किये गये बैंक खातों का ब्योरा

कार्यालय का नाम	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	बन्द किये गये खाता संख्या	खाता में 30.11.2017 को संचित राशि	बन्द किये गये खाते में संचित राशि का मदवार ब्योरा	बन्द खाते में संचित राशि जिस खाते में हस्तान्तरित किया गया उसका ब्योरा	हस्तान्तरित की गई राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

बैंक का नाम :-

शाखा का नाम:-

बैंक खाता संख्या:-

लेखापाल / रोकड़पाल का हस्ताक्षर (अनिवार्य रूप से)

नाम:-

मो०नं०:-

आहरण एवं व्यय पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम:-

कार्यालय मुहर

